न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 32/2021

श्री नाथू सिंह पुत्र श्री मोतीसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम पंवारों की ढाणी, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर

.....*अपीलान्ट*

बनाम

1– श्रीमति रतन कंवर पत्नि स्व0 श्री रघुराज सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम पंवारों की ढाणी, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर हाल निवासी ग्राम देवली, तहसील परबतसर, जिला नागौर

2– सोनू पुत्री स्व0 श्री रघुराज सिंह पत्नि श्री राजवीर सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम पंवारों की ढाणी, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर हाल निवासी ग्राम खाजपुरा, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर

3– श्रीमति सुरेश कंवर पत्नि स्व0 श्री रघुराज सिंह

4– श्री बजरंग सिंह

5– श्री प्रीतम सिंह

पुत्रगण स्व0 श्री रघुराज सिंह, समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम पंवारों की ढाणी, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर

6– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ

.....*रेस्पोन्डेन्ट*

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

———

उपस्थित :–

1. श्री शान्तिप्रकाश ओझा, वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री हसन खान, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से।
3. श्री ओमप्रकाश गुर्जर, सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक–20.09.2022

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर के राजस्व ग्राम पंवारों की ढाणी स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 01 रकबा 38–05–00 बीघा, खसरा संख्या 02 रकबा 00–03–00 बीघा में वसीयतकर्ता के 1/4 हिस्से एवं ग्राम करकेड़ी स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 735 रकबा 24–00–00 बीघा में वसीयतकर्ता के 1/2 हिस्से के रेकॉर्डेड खातेदार वसीयतकर्ता श्री रघुराज सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम पंवारों की ढाणी, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर की मृत्यु पश्चात उनकी वारिस श्रीमति रतन कंवर पत्नि स्व0 श्री रघुराज सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम पंवारों की ढाणी, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर के पक्ष में मृतक की विरासत

अपर कलक्टर
अजमेर

का नामान्तरकरण खोलने के आदेश अपंजीकृत वसीयत दिनांक 31.05.2019 के आधार पर तहसीलदार रूपनगढ द्वारा प्रकरण संख्या 01/2021, उनवान रतन कंवर बनाम सुरेश कंवर, अन्तर्गत धारा 135(2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में पारित निर्णय दिनांक 26.04.2021 से कर दिये गये। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 26.04.2021 से अप्रसन्न होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपील पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया व रेस्पोन्डेन्ट्स के नाम नोटिस जारी किये गये। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 जरिये वकील उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 से 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

हमरे उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपंजीकृत वसीयत दिनांक 31.05.2019 के आधार पर धारा 135(2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत आक्षेपीय आदेश पारित करने में भारी भूल की गई है जबकि विवादित आराजी खसरा संख्या 1, 2, 14, 18, 23 व 24/2 कुल किता 6 कुल रकबा 106–15–10 बीघा व अन्य आराजी बाबत वाद भिन्न–भिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है एवं जिसकी जानकारी पत्रावली पर आ चुकी थी। उनका आगे कथन है कि अपीलान्ट के पिता श्री मोतीसिंह व काका श्री अमरसिंह सगे भाई थे जिनका स्वर्गवास हो चुका है। अपीलान्ट के काका श्री अमरसिंह के कोई जायन्दा संतान नहीं थी किन्तु रेस्पो0 संख्या 1 से 5 के पति/पिता श्री रघुराजसिंह ने तथाकथित कूटरचित वसीयत दिनांक 05.03.1986 से अपीलान्ट के काका श्री अमरसिंह की आराजी अपने नाम दर्ज करवा ली। तत्पश्चात खसरा संख्या 18 रकबा 08–02–00 बीघा का 1/2 हिस्सा श्री रघुराजसिंह ने दिनांक 14.09.2017 को श्री देवकरण व श्री नारायण पुत्रगण श्री रामाराम को बेचान कर दिया। उक्त कूटरचित वसीयत दिनांक 05.03.1986 व तत्पश्चात निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 14.09.2017 को शून्य व प्रभावहीन घोषित करवाने हेतु एक सिविल वाद संख्या 05/2018 बउनवान नाथू सिंह बनाम रघुराज सिंह मान0 न्यायालय अपर मुख्य न्यायाधीश संख्या–1, किशनगढ में विचाराधीन है। उन्होने कथन किया कि अपीलान्ट के पिता श्री मोतीसिंह व काका श्री अमरसिंह का विवादित आराजी में बराबर का हिस्सा था एवं दोनों की आराजी पर अपीलान्ट ही काबिज काश्त था तथा अपने काका का उत्तराधिकारी है किन्तु रेस्पो0 संख्या 1 से 5 के पति/पिता श्री रघुराज सिंह जो उनके परिवार का सदस्य नहीं होते हुए भी कूटरचित वसीयत के आधार पर श्री अमरसिंह के हिस्से की आराजी का नामान्तरकरण संख्या 8 दिनांक 23.03.1987 को अपने पक्ष में स्वीकृत करवा लिया एवं आराजी का बेचान कर दिया। इस सम्बन्ध में एक राजस्व वाद संख्या 09/2018 नाथूसिंह बनाम देवकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 बाबत खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ में विचाराधीन है। उक्त वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम रघुराज सिंह व अन्य के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है जिसमें दिनांक 26.03.2018 को स्थगन आदेश पारित

अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

किया गया है। विभिन्न न्यायालयों में वाद विचाराधीन होने के समस्त तथ्यों की जानकारी श्री रघुराज सिंह को थी, इसके उपरान्त भी विवादित आराजी खसरा संख्या 1 रकबा 38–05–00 बीघा, खसरा संख्या 2 रकबा 00–03–00 बीघा किस्म गै0मु0 चाह, खसरा संख्या 735 रकबा 24–00–00 बीघा एवं अन्य आवासीय भूखण्ड बाबत दिनांक 31.05.2019 अपंजीकृत वसीयतनामा अपनी द्वितीय पत्नि श्रीमति रतन कंवर/रेस्पो0 संख्या 1 के नाम निष्पादित कर दिया। श्री रघुराज सिंह का स्वर्गवास दिनांक 26.02.2020 को होने के पश्चात रेस्पो0 संख्या 1 ने उक्त वसीयत के आधार पर विरासत का नामान्तरकरण अपने नाम स्वीकृत कराने हेतु एक प्रार्थना पत्र दिनांक 18.05.2020 को तहसीलदार, रूपनगढ के समक्ष प्रस्तुत किया। तहसीलदार रूपनगढ द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर वसीयतकर्ता के विधिक वारिसान की जांच कर सूची व वर्तमान पते की रिपोर्ट एवं अंतिम वसीयत होने की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु पटवारी हल्का को निर्देश दिये गये। जिस पर पटवारी हल्का ने दिनांक 16.06.2020 को सम्पूर्ण रिपोर्ट मय मौका रिपोर्ट दिनांक 10.06.2020 प्रस्तुत की जिसमें विचाराधीन वाद, स्थगन आदेश व श्री रघुराज सिंह के वारिसान की सूची व पते की जानकारी दी गई। जिस पर तहसीलदार रूपनगढ ने दिनांक 08.07.2020 को रेस्पो0 संख्या 1 को अवगत कराया कि विभिन्न वाद विचाराधीन होने व स्थगन आदेश पारित होने से उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है। स्थगन आदेश निरस्त होने पर ही प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार आदेश पारित किया जाना संभव होगा। इसके उपरान्त रेस्पो0 संख्या 1 ने दिनांक 24.02.2021 को एक नया प्रार्थना पत्र वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण खोलने हेतु प्रस्तुत किया, जिस पर प्रकरण संख्या 1/2021 रतन कंवर बनाम श्रीमति सुरेश कंवर दिनांक 05.03.2021 को दर्ज कर वसीयतकर्ता के विधिक वारिसान व वसीयत में गवाहों के नोटिस जारी करने के आदेश कर पत्रावली दिनांक 17.03.2021 को नियत की गई। रेस्पो0 व अन्य रेस्पो0 संख्या 3 से 5 उपस्थित हुए एवं रेस्पो0 संख्या 3 से 5 ने आपत्तियां प्रस्तुत की किन्तु गवाहों के उसी दिन बयान लिये जाकर पत्रावली दिनांक 25.03.2021 व 05.04.2021 को जवाब हेतु नियत की एवं दिनांक 09.04.2021 को रेस्पो0 संख्या 3 से 5 ने प्रस्तुत आपत्ति को ही जवाब मानते हुए कार्यवाही का निवेदन किया। आगामी तारीख पेशी 16.04.2021 नियत की गई। दिनांक 16.04.2021 को रेस्पो0 संख्या 1 जो प्रार्थिया थी अनुपस्थित रही एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 से 5 जो अप्रार्थी थे वे भी अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इसके बावजूद अनुपस्थिति दर्ज करते हुए पत्रावली बिना बहस सुने निर्णय हेतु दिनांक 26.04.2021 नियत कर दी किन्तु कोरोना महामारी द्वितीय चरण के कारण दिनांक 19.04.2021 को सम्पूर्ण राजस्थान में लॉकडाउन लगने से न्यायिक कार्य बंद हो गये। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वसीयत के आधार पर रेस्पो0 संख्या 1 के नाम विरासत नामान्तरकरण दर्ज करने का आक्षेपीय आदेश पारित कर दिया जबकि विवादित आराजी बाबत भिन्न भिन्न न्यायालयों में वाद विचाराधीन होने सम्बन्धी तथ्यों व विवादों की जानकारी जो रघुराजसिंह व अपीलान्ट के मध्य थी पत्रावली पर आ चुकी थी एवं प्रथम प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी जिसकी कोई अपील भी रेस्पो0 संख्या 1 ने प्रस्तुत नहीं की थी। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बगैर द्वितीय

अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आक्षेपीय आदेश पारित करने में भारी भूल कारित की है। अपने उक्त कथनों के समर्थन में उन्होने हमारा ध्यान आर0आर0टी0 2003(1) पेज 650 व आर0आर0टी0 2007(2) पेज 920 पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय तथा आर0आर0टी0 2003(2) पेज 886, आर0आर0डी0 1985 पेज 170 एवं आर0आर0डी0 1992 पेज 304 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों की ओर आकर्षित किया।

वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस जारी रखते हुए कथन किया कि वसीयत में अंकित खसरा संख्या 735 रकबा 24–00–00 बीघा ग्राम पंवारों की ढाणी में नहीं होकर ग्राम करकेड़ी में स्थित है किन्तु आक्षेपीय आदेश में गांव का नाम सहवन से गलत दर्ज होना अंकित करते हुए रेस्पो0 संख्या 1 के नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित कर दिये गये जबकि तहसीलदार को वसीयत में अंकित तथ्यों के विपरीत जाकर निर्णय पारित करने का अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश में यह अंकन किया गया है कि राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 09/2018 में दिनांक 26.03.2018 को पारित स्थगन आदेश दिनांक 27.04.2018 तक ही प्रभावी था एवं सिविल वाद के सम्बन्ध में कोई तथ्य व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जबकि प्रकरण में अपीलान्ट को पक्षकार ही नहीं बनाया गया, यदि पक्षकार बनाया जाता तो साक्ष्य व जवाब प्रस्तुत किये जाते। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1/प्रार्थी दिनांक 16.04.2021 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुई, ऐसी स्थिति में प्रकरण अदम हाजरी में खारिज कर दिया जाना चाहिये था किन्तु प्रार्थी व अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति अंकित करते हुए विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर निर्णय हेतु दिनांक 26.04.2021 नियत करते हुए लॉकडाउन में निर्णय पारित कर दिया। उनका कथन है कि तहसीलदार के समक्ष धारा 135(2) भू–राजस्व अधिनियम के पंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर ही विवाद का निपटारा किया जा सकता है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से अपंजीकृत वसीयतनामा की मूल प्रति प्रस्तत नहीं कर छायाप्रति प्रस्तुत की गई थी एवं छायाप्रति के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही अविधिक रूप करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का कथन है कि ग्राम पंवारों की ढाणी स्थित विवादित आराजी खसरा संख्या 01 रकबा 38–05–00 बीघा व खसरा संख्या 02 रकबा 00–03–00 बीघा वसीयतकर्ता श्री रघुराजसिंह का हिस्सा 1/4 वसीयतकर्ता से पूर्व श्री अमरसिंह पुत्र बलवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी पंवारों की ढाणी के नाम दर्ज थी, जो वसीयतनामा दिनांक 05.03.1986 के आधार पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 08 दिनाक 23.03.1987 से वसीयतकर्ता श्री रघुराजसिंह के नाम दर्ज हुई। इस प्रकार विवादित आराजी खसरा संख्या 1 व 2 में वसीयतकर्ता का हिस्सा 1/4 की आराजी वसीयतकर्ता की स्वअर्जित सम्पत्ति होना जाहिर है। इसके साथ ही ग्राम करकेड़ी स्थित आराजी खसरा संख्या 735 रकबा 24–00–00 बीघा जरिये पंजीकृत बयनामा क्रमांक 1041 दिनांक 03.01.1984 से नाथूसिंह पुत्र मोतीसिंह 1/2 हिस्सा व रघुराजसिंह पुत्र भोपालसिंह 1/2 हिस्सा क्रय करने से

अपर कलक्टर
अजमेर

जरिये नामान्तरकरण 494 दिनांक.....से क्रेतागण के नाम दर्ज हुई जो कि वसीयतकर्ता श्री रघुराजसिंह की स्वअर्जित सम्पत्ति होना जाहिर है। उनका आगे कथन है कि श्री अमरसिंह पुत्र श्री बलवन्तसिंह के कोई जायन्दा सन्तान नहीं होने के कारण वे रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 के पति/पिता के पास ही रहे एवं इनके द्वारा ही अन्तिम समय में उनकी देखभाल व सेवा आदि की गई तथा श्री अमरसिंह की मृत्यु उपरान्त अंतिम संस्कार कर क्रिया कर्म धार्मिक व सामाजिक रीति रिवाज से सम्पन्न करवाये गये। श्री अमरसिंह द्वारा उनके जीवनकाल में ही उक्त अंकित वसीयत रेस्पो0 संख्या 1 से 5 के पति/पिता श्री रघुराजसिंह के पक्ष में निष्पादित कर दी थी। वसीयत के आधार पर श्री रघुराजसिंह के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 08 दिनांक 23.03.1987 को स्वीकृत किया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त वसीयत व नामान्तरकण को किसी भी सक्षम न्यायालय में अभी तक चुनौती नहीं दी गई है। वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस जारी रखते हुए कथन किया कि श्री रघुराजसिंह ने अपने जीवनकाल में दो शादियां की थी एवं अपनी पत्नि श्रीमति रतन कंवर/रेस्पो0 संख्या 1 के नाम विवादित आराजी खसरा संख्या 01 रकबा 38–05–00 बीघा, खसरा संख्या 02 रकबा 00–03–00 बीघा एवं आराजी खसरा संख्या 735 रकबा 24–00–00 बीघा की वसीयत की गई। वकील अपीलान्ट का यह कथन कि रेस्पो0 संख्या 1 वसीयतकर्ता श्री रघुराजसिंह की अवैध पत्नि थी, सरासर गलत एवं तथ्यों से परे है। अपने कथनों के समर्थन में उन्होने ऐसा कोई दस्तावेज व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। वकील अपीलान्ट ने वसीयत में वर्णित खसरा संख्या 735 रकबा 24–00–00 बीघा ग्राम पंवारों की ढाणी में नहीं होकर ग्राम करकेड़ी में स्थित होना बताते हुए तहसीलदार को वसीयत में अंकित तथ्यों के विपरीत जाकर निर्णय पारित करने का अधिकार नहीं होने का कथन किया है। इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत में गांव का नाम सहवन से गलत दर्ज होने का उल्लेख आक्षेपीय आदेश में किया गया है एवं गांव का नाम गलत होना एक लेखनीय त्रुटि है। केवल लेखनीय त्रुटि के आधार पर सम्पूर्ण दस्तावेज को अवैध व शून्य करार नहीं दिया जा सकता है। वकील अपीलान्ट का यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 का विरासत नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु प्रस्तुत प्रथम प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया था जिसकी अपील रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा सक्षम न्यायालय में अभी तक नहीं की गई है, जो कि सर्वथा गलत एवं तथ्यों से परे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 का प्रथम प्रार्थना पत्र खारिज नहीं कर विवादित आराजी बाबत स्थगन आदेश प्रभावी होने से तत्समय कोई कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होना व स्थगन निरस्त होने पर प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर नियमानुसार आदेश पारित किया जाना संभव होना प्रार्थिया को अवगत कराया गया था। उक्त आदेश की पालना में रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा पुनः एक प्रार्थना पत्र दिनांक 24.02.2021 को विरासत का नामान्तरकरण उनके पक्ष में स्वीकृत करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर दोनों पक्षों को सुना जाकर लॉकडाउन पश्चात न्यायिक कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त विधिअन्तर्गत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। चूंकि विवादित आराजी बाबत विवाद रेस्पो0 संख्या 1 व रेस्पो0 संख्या 3 से 5 के मध्य था, फलस्वरूप अपीलान्ट को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नहीं था।

अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि मान0 न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 1, किशनगढ में विचाराधीन प्रकरण संख्या 02/2018 नाथूसिंह बनाम रघुराज सिंह व अन्य में प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता में मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में बनना नहीं पाया जाने एवं सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं होना मानते हुए आदेश दिनांक 31.07.2018 से प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया है। तत्पश्चात उक्त आदेश के विरूद्ध मान0 न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या–1, किशनगढ में दायर अपील संख्या 23/2018 नाथूसिंह बनाम रघुराज सिंह व अन्य भी इन्ही तथ्यों के आधार पर आदेश दिनांक 05.11.2019 से अस्वीकार की गई है। उनका आगे कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 135(2) के अन्तर्गत आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है। यदि तहसीलदार द्वारा दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर अधिनियम की धारा 135(2) के तहत आदेश पारित किया जाता है तो ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील का क्षेत्राधिकार मान0 संभागीय आयुक्त में नीहित है किन्तु यदि दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर दिये बिना अधिनियम की धारा 135 के अधीन कोई आदेश पारित किया गया है तो ऐसे आदेश के विरूद्ध मान0 जिला कलक्टर/अति0 कलक्टर प्रावधानों के तहत सुनवाई करने हेतु सक्षम है। इस प्रकरण में ऐसा नहीं हुआ है। आक्षेपीय आदेश दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर पारित किया गया। फलस्वरूप आक्षेपीय आदेश की अपील मान0 संभागीय आयुक्त के समक्ष होगी। अपने कथन के समर्थन में उन्होने हमारा ध्यान आर0आर0डी0 2020 पेज 275 व आर0आर0टी0 2016(1) पेज 727 पर माननीय राजस्व मण्डल राज0, अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों की ओर आकर्षित करते हुए अन्त में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 1 से 5 के पति/पिता श्री रघुराज सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में विवादित आराजी खसरा संख्या 01 रकबा 38–05–00 बीघा, खसरा संख्या 02 रकबा 00–03–00 बीघा 1/4 हिस्सा एवं आराजी खसरा संख्या 735 रकबा 24–00–00 बीघा 1/2 हिस्सा की वसीयत दिनांक 31.05.2019 को अपनी पत्नि श्रीमति रतन कंवर/रेस्पो0 संख्या 1 के नाम की गई। वसीयतकर्ता श्री रघुराज सिंह का स्वर्गवास दिनांक 26.02.2020 को होने पर रेस्पो0 संख्या 1 ने उक्त वसीयत के आधार पर विरासत का नामान्तरकरण अपने नाम स्वीकृत कराने हेतु एक प्रार्थना पत्र दिनांक 18.05.2020 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर वसीयतकर्ता के विधिक वारिसान की जांच व वर्तमान पते की रिपोर्ट एवं अंतिम वसीयत होने की जांच कर रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त की गई। रिपोर्ट प्राप्त होने पर तहसीलदार रूपनगढ ने दिनांक 08.07.2020 को रेस्पो0 संख्या 1 को विवादित आराजी के सम्बन्ध में वाद विचाराधीन होने व स्थगन आदेश प्रभावी होने से प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होना व स्थगन आदेश निरस्त होने पर ही

अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार आदेश पारित किया जाना संभव होगा, प्रार्थिया/रेस्पो0 संख्या 1 को अवगत कराया। इसके उपरान्त रेस्पो0 संख्या 1 ने दिनांक 24.02.2021 को पुनः एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर प्रकरण संख्या 1/2021 श्रीमति रतन कंवर बनाम श्रीमति सुरेश कंवर दर्ज कर दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 135(2) के अन्तर्गत रेस्पो0 संख्या 1/श्रीमति रतन कंवर के पक्ष में वसीयत के आधार पर विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करने का आक्षेपीय आदेश दिनांक 26.04.2021 पारित किया गया। तहसीलदार रूपनगढ द्वारा अधिनियम की धारा 135(2) के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया है। जिला कलक्टर/अति0 जिला कलक्टर को धारा 75(1) डी के अन्तर्गत भू-अभिलेख अधिकारी की हैसियत से तहसीलदार के द्वारा अविवादित नामान्तरकरण पर अधिनियम की धारा 135 के अधीन पारित आदेश के विरूद्ध अपील की सुनवाई का अधिकार है, परन्तु तहसीलदार द्वारा भू-अभिलेख अधिकारी की हैसियत से अधिनियम की धारा 135(2) के अन्तर्गत विवादित नामान्तरकरण प्रकरण में आदेश पारित किया गया है तो ऐसे आदेश की अपील सुनने का अधिकार धारा 75(1) एफ के अन्तर्गत मान0 संभागीय आयुक्त को है। इस प्रकार विवादित नामान्तरकरण प्रकरण धारा 75(1) एफ के अन्तर्गत अपील मान0 संभागीय आयुक्त के समक्ष संधारण योग्य है एवं अपीलाधीन आदेश इस न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता से बाहर है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलांट निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश यथावत रखा जाता है। अपीलान्ट चाहे तो आक्षेपीय आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में विधि अन्तर्गत अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

आदेश आज दिनांक 20.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर, अजमेर
अजमेर